

वकील गण

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

दिना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
16/22	212 RTA	कडैयावन	दरडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
रुघनाथ	बनाम	रामलाल वगैरे	

2022/36

वकील :- जिनेन्द्र जैन **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** **विविध संदर्भ**

4/3/22

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट विरुद्ध प्रतिवादीगणों के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सूनी गई। ग्राम कडैयावन तहसील छबड़ा की विवादित आराजी खसरा नं0 867 रकबा 4.12 बीघा भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगणों को अगामी तारीख तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि वाद ग्रस्त आराजी का दान रहन बेचान आदि ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रति निधियों से करावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 11/04/2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

11/4/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पक्षकार वादी उपस्थित। पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण में कार्यवाही इत्दी स्टेज पर हों करके का निवेदन किया। प्रकरण में कार्यवाही इत्दी स्तर पर हों की जाती है। पत्रावली दिनांक 11/04/2022 को पेश हो।

रुघनाथ